



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



लोकहितार्थं सत्यमिच्छा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/DRSSA/64

Dated 14.10.2022

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to State Government's civil/family pensioners.

Ref: 1. SSA No. Letter No. Pension Misc/705 dated 22.09.2022.

2. Memorandum No. 11/2022 G-3-400/X-2022-301/2000T.C., Government of Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3 dated: Lucknow : 23 July, 2022.

I am to enclose herewith the copy of Special Seal Authorisation received from the office of the Principal Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh regarding grant of Dearness Relief to State Government's civil/family pensioners. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)-II
20 Sarojani Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj

-For information

Sr. Accounts Officer



Urgent

P19/IV/DRSSA/64

06/10/2022

पंजीकृत

P19

181614

4/10/2022

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक:-पेंशन विविध/705

दिनांक:- 22/09/2022

सेवा मे,

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) - II

AD (APE) Kerala, M.G. Road,

Thiruvananthapuram - ~~695039~~
695001

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

शासनादेश :-1- उ0प्र0 शासनादेश सं0- 11/2022/सा-3-400/दस-2022-301/2000टी0सी0-वित्त
(सामान्य) अनुभाग - 3 -वित्त विभाग लखनऊ दिनांक - 23 जुलाई 2022


महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नक :- यथोपरि ।

भवदीय


वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य.) अनुभाग-3

संख्या -11/2022/सा-3-400/दस-2022-301/2000टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/200टी0सी0 दिनांक 22 दिसम्बर 2021 द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2021 से महँगाई राहत की दर 28 प्रतिशत से बढ़ा कर 31 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2022 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 31 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 34 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्ता शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।


8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(नील रतन कुमार),

विशेष सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1)उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।
- (2)महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3)महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड,,देहरादून।
- (4) समस्त राज्यों के महालेखाकार।



(नील रतन कुमार),

विशेष सचिव, वित्त।

Government of Uttar Pradesh

Finance (General) Section-3

No. 11/2022 G-3-400/X-2022-301/2000T.C.

Dated : Lucknow : 23 July, 2022

Office - Memorandum

Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil/family pensioners.

Vide government order No. 24/2021-G-3-804/X-2021-301/2000T.C. Dated 22 December, 2021 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 28 percent to 31 percent w.e.f. July 01, 2021.

2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. January 01, 2022 on the pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.

3- As a consequence of the above-mentioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 31 percent to 34 percent with effect from January 01, 2022.

4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings /corporations etc in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/family pensioners are being issued.

6- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments,

